



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
(शिक्षा मंत्रालय, भारत शासन का स्वायत्तशासी संस्थान)
(Ministry of Education, Govt. of India)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, Ujjain - 456006 (M.P.)

सूचना : किसी भी व्यक्ति से चयन हेतु फोन करवाना/ फ्राड करने वाले गिरोह से संपर्क साधकर उनको धनराशि देकर गलत कार्य करना/ किसी भी अधिकारी को चयन हेतु मेसेज भेजना/ किसी अतिविशिष्ट व्यक्ति से पत्र लिखवाना / बार-बार आकर मिलने का प्रयत्न करना, चयन प्रक्रिया से हटाने (Debarment) के लिए एकमात्र कारण बन सकता है। अतः आवेदक इस तरह गलत कार्य न करें। उच्च गुणवत्ता के साथ वेदशाखा का सस्वर पूर्ण कंठस्थीकरण, छात्रों की तैयारी में प्रयत्न करें, चयन हेतु गुणवत्ता के अलावा अन्य कोई भी उपाय नहीं है।

वेदों की मौखिक श्रुति परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने की योजना के अन्तर्गत
गुरुशिष्य परम्परा इकाई संचालक वेद अध्यापक द्वारा वर्ष 2026-27/ एवं आगामी वर्ष के लिए
नवीन वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र

**Application under the Scheme for Preservation of Oral Tradition of Vedas
for seeking New Financial Assistance by Guru Shishya Parampara
Unit (GSP Unit) Veda Gurus for the Year 2026-27/ and for Further
years**

वेद अध्यापक का नाम	-	नवीनतम फोटो चिपकाएं Paste the latest photo
Name of Veda Teacher	-----	
पिता का नाम	-	
Father's Name	-----	
माता का नाम	-	
Mother's Name	-----	
जन्म तिथि/ Date of Birth	-	अंको में (In Numbers) ---- / ---- / ----- शब्दों में (In words) -----
वर्ग /Category	-	सामान्य (Gen) ☐ अनुसूचित जाति (SC) ☐ अनुसूचित जन जाति (ST) ☐ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) ☐
लिंग /Gender	-	पुरुष (Male) ☐ / महिला (Female) ☐
वेद अध्यापक गुरु का नाम	-	-----
Name of Veda Teacher Guru	-	-----
वेद एवं शाखा	-	-----
Veda & Shakha	-	-----
वेद में योग्यता (संहिता/क्रमांत/घनांत)	-	-----

Veda qualifications
(Samhita/Kramant/Ghanant) -----

आधुनिक शिक्षण में योग्यता - -----

Modern Ed. Qualification

भाषा ज्ञान : (1) मातृभाषा (2) संस्कृत
(3) हिन्दी (4) अन्य कोई (5) विदेशी भाषा (यदि कोई हो तो उल्लेख करें) - -----

Knowledge of Languages: (1) Mother
Tongue (2) Sanskrit (3) Hindi (4) Any
other (5) Foreign language (mention
if any) -----

आधुनिक विषय पढ़ाने में सामर्थ्य -----

आधुनिक विषय : (1) अंग्रेजी (2) गणित- वैदिक
गणित सहित (3) विज्ञान
(4) सामाजिक विज्ञान (5) कंप्यूटर, योग, कौशल
विकास आदि (यदि कोई हो तो उल्लेख करें) -----

Ability to teach modern subjects:

(1) English (2) Mathematics including
Vedic Mathematics (3) Science
(4) Social Science (5) Computer, Yoga,
Skill Development etc (mention if any)

किसी अन्य स्रोत से प्राप्त मानदेय (प्रतिमाह)

Honorarium received from any
source (per month) - -----

अब तक वेदविभूषण-2 वर्ष उत्तीर्ण छात्रों की संख्या
एवं नाम - -----

Name and number of Veda-
Vibhushan-2 passed out students till
now -----

वेदभूषण व वेदविभूषण उत्तीर्ण ऐसे छात्रों का विवरण जो वर्तमान में कहीं कार्यरत हों प्रदान करें।

(जैसे – राज्य, केन्द्रीय या अन्य कोई सेवा आदि)

Details of such students who have passed Veda Bhushan and Veda Vibhushan and working presently in any

(State, Central Govt or any other service etc.)

1 .				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

आधार नम्बर

- _____

Aadhar No.

स्थायी पता

- _____

Permanent Address

दूरभाष/मोबाईल न.

- _____

Telephone / Mobile No.

ई-मेल

- _____

E-mail

इकाई संचालित करने का स्थान एवं

- _____

पता

Place of Unit & Address

छात्रों का विवरण/Details of Students

क्र. Sr.	छात्र का नाम Student Name	आधार नं. Aadhar No.	पिता का नाम Father's Name	माता का नाम Mother's Name	स्थायी पता Address	मोबाईल नं. Mob. No.
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

मैं यह सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त सभी सूचनाएँ सत्य हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि होने पर मान्यता रद्द कर दी जाएगी, यह मुझे स्वीकृत है। जिन छात्रों को प्रथम वर्ष में मेरे अधीन प्रवेश दिया जाएगा उन छात्रों को निरन्तर वेद अध्यापन कराना एवं अन्य विषयों को, वेदभूषण (1-3)/ वेदभूषण (1-5) एवं वेदविभूषण (1-2) वर्ष तक अथवा प्रतिष्ठान के निर्देशानुसार अध्यापन कराने की मेरी जिम्मेदारी रहेगी।

मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ, कि शाखा के वेदाध्यापन हेतु मैंने आवेदन किया है, अतः वह शाखा मुझे संपूर्ण कंठस्थ है।

मैं वेदभूषण (1-3)/ वेदभूषण (1-5)/ पाठ्यक्रम के आधुनिक विषयों को स्वयं पढ़ाने की व्यवस्था करूंगा। यह मुझे स्पष्ट अवगत है, कि प्रतिष्ठान द्वारा केवल वेद अध्यापन हेतु वेद गुरु को मानदेय दिया जाता है, आधुनिक विषय अध्यापन हेतु मुझे स्वयं व्यवस्था करना है।

I hereby declare that the information submitted is true to the best of my knowledge. In case of any wrong information submitted by me, my recognition may be rejected at any time and the same will be acceptable by me. I would be responsible for continuous teaching of Veda by myself and teaching other subjects till completion of Vedabhushan (1-3)/(1-5) and Veda Vibhushan(1-2)year course to all admitted first year students under me or to teach as per the directions of Pratishtan.

I..... have applied for the GSP Unit inShakha, therefore I solemnly state that I bear the wholeShakha by heart.

I,, hereby undertake to make my own arrangements for teaching the modern subjects prescribed under the **Vedabhushan (Level 1–3), Vedabhushan (Level 1–5), or Vedavibhushan (Level 1–2)** curriculum, as applicable.

I am fully aware that the Pratishtan provides remuneration to the **Veda Guru** only for teaching Vedic subjects. I further undertake that I shall make my own arrangements for the teaching of the prescribed modern subjects.

दिनांक/ Date

वेद अध्यापक के हस्ताक्षर/ Signature of Veda teacher

शपथ पत्र

(100 रुपए के स्टैप पेपर पर)

मेरा (वेद अध्यापक का नाम) निवासी वेदपाठी (स्वाध्यायी) के रूप में “वैदिक सस्वर उच्चारण की परम्परा को अक्षुण्ण बनाए रखने की योजना /गुरु शिष्य इकाई” के अन्तर्गत छात्रों को वेदों का मौखिक सस्वर वेद अध्यापन कराने हेतु महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु गुरु शिष्य इकाई को अनुदान हेतु प्रस्ताव है। परीक्षा हेतु महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड से संबद्धता का भी प्रस्ताव है।

मेरी इकाई का स्वीकृत पता एवं स्थान है।

मैं इस पत्र में उल्लिखित गुरु शिष्य इकाई की सभी शर्तों को स्वीकृत करता हूँ और मैं मेरे हस्ताक्षर द्वारा शर्तों की पूर्ण स्वीकृति देता हूँ।

मैं शपथपूर्वक वचन देता हूँ कि मैं(छात्रों की संख्या) वित्तपोषित छात्रों को सस्वर वेद शाखा पढाऊँगा और उन के नाम और अध्ययन वर्ष इस प्रकार हैं –

वर्ष	वर्ष
1. -----	2. -----
3. -----	4. -----
5. -----	6. -----
7. -----	8. -----
9. -----	10. -----

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ऊपर लिखित छात्रों को पूर्ण दीक्षित कर उन्हें सम्पूर्ण संहिता ----- (वेद व शाखा का नाम) के सस्वर पाठ में प्रतिष्ठान के प्रतिवर्ष में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवीण करूँगा।

समस्त नियम पालन कर अध्यापन करते रहने पर, मुझे प्रतिष्ठान द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रतिमाह रुपये _____ का मानदेय प्राप्त होगा। प्रत्येक वित्तपोषित छात्र को रुपये 5000/- प्रतिमाह (अधिकाधिक 10 छात्रों को) छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसमें रुपये 3500/- (रुपये तीन हजार पांच सौ मात्र) रख-रखाव (भोजन, आवास, वस्त्र, आदि हेतु) छात्रवृत्ति का भुगतान वेद अध्यापक के खाते में एवं रुपये 1500/- (रुपये एक हजार पांच सौ मात्र) छात्र की स्वयं की छात्रवृत्ति छात्र के उनके अभिभावक (माता अथवा पिता/उनके न होने पर विधि मान्य संरक्षक) के साथ संयुक्त खाते में जमा होगा।

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि इस गुरु शिष्य परंपरा इकाई के वेद छात्रों एवं मैं (वेद गुरु) , जो मसारावेविप्र, उज्जैन से क्रमशः छात्रवृत्ति एवं मानदेय प्राप्त करते हैं, वे समान उद्देश्य तथा कार्य के लिए किसी अन्य सरकार/सरकारी निकायों/सरकारी ट्रस्टों/सरकारी सोसाइटियों/सार्वजनिक न्यासों से समांतर रूप से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

नियम एवं शर्तें:-

- 1) प्रतिष्ठान पाठ्यक्रम के अनुसार सम्पूर्ण वेद संहिता एवं आधुनिक विषयों का भी स्वयं के उत्तरदायित्व में अध्यापन कराऊंगा। प्रतिष्ठान बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय गुरु शिष्य इकाई का निरीक्षण कर सकेगा।
- 2) जुवेनाईल जस्टीस एक्ट, पोक्सो एक्ट इत्यादि संबद्ध कानून के अन्तर्गत जो भी बाल विरोधी गतिविधियाँ हैं, उन सभी से दूर रखूँगा/रहूँगा।
- 3) मैं वेद का सस्वर अध्यापन करने हेतु अन्य किसी सरकारी स्रोत से अनुदान प्राप्त नहीं कर रहा हूँ और जब तक प्रतिष्ठान से अनुदान मिलता रहेगा भविष्य में भी नहीं करूँगा।
- 4) मैं प्रतिष्ठान के निर्देशों/शर्तों के अनुरूप छात्रों का सम्पूर्ण खाने-पीने एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखूँगा एवं छात्रों को कर्मकाण्ड इत्यादि में नहीं लगाऊँगा। प्रतिष्ठान किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है। निरीक्षण में निर्देशों/शर्तों का उल्लंघन पाय जाने पर प्रतिष्ठान शर्तों के अनुरूप कार्रवाई कर सकता है।
- 5) मैं केवल महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड से ही संबद्ध हूँ। मैं इस तथ्य से भली भाँति परिचित हूँ कि किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से मेरी संबद्धता की स्थिति में, मेरी वित्तीय सहायता और मेरी गुरु-शिष्य परम्परा इकाई की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि निम्नलिखित परिस्थितियों में, मैं प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त मानदेय, सम्बन्धित सत्र का वापस करूँगा:-

- 6) यदि मैं प्रतिष्ठान द्वारा या उसके प्राधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों/शर्तों को मानने में असफल रहूँगा।
- 7) यदि मैं प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम (संहिता) को छात्रों को वेद का सस्वर अध्यापन करने में/या अन्य विषय अध्यापन में असफल रहूँगा या पूर्णावधि के बीच में अध्यापन छोड़ दूँगा।
- 8) यदि छात्रों की प्रगति आख्या अथवा परीक्षा परिणाम प्रतिष्ठान द्वारा विपरीत पायी गयी।
- 9) यदि कोई छात्र प्रतिष्ठान की वार्षिक परीक्षा में बिना किसी संतोषजनक कारण के अनुपस्थित रहे, तो उस स्थिति में छात्र को दी गई सालभर की छात्रवृत्ति को प्रतिष्ठान को वापस करूँगा।

उपर्युक्त 09 स्थितियों में से किसी एक भी विपरीत स्थिति पायी जाती है तो मेरी इकाई निरस्त कर दी जाए।

इस शपथ पत्र को मैंने अपनी सम्पूर्ण चेतना एवं आत्मविश्वास से पढ़ कर हस्ताक्षर कर रहा हूँ तथा अनुदान की सभी शर्तें मान्य हैं।

नाम एवं हस्ताक्षर

गुरु शिष्य इकाई/ वेद स्वाध्यायी अध्यापक का नाम,

पूरा पता एवं दूरभाष

AFFIDAVIT

(On Rs. 100/- Stamp Paper)

I,(Name of the Veda teacher), a resident of and a Veda Pathi (Swadhyayi) hereby put forth the proposal to teach Oral/Saswar tradition of the Veda to the students enrolled under me in accordance with the scheme for preservation of the oral tradition of Vedic recitation/ Guru Shishya Parampara. The purpose of this proposal is to seek financial assistance from Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan, Ujjain for the Academic Session 2026-27, specifically for my Guru Shishya Unit. Further, this proposal is intended to seek affiliation for examination from Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Sanskrit Shiksha Board (MSRVSSB).

..... is the approved address and location of my GSP Unit.

I accept all the terms and conditions mentioned in this letter.

I,....., (Name of the Veda Teacher) undertake to fulfill all the terms and conditions by signing this affidavit.

I solemnly swear that I shall impart Saswar Veda teaching to (number of financially aided students) belonging to Shakha. Their names and year of study are as follow:-

Year	Year
1.	2.
3.	4.
5.	6.
7.	8.
9.	10.

I affirm that the aforementioned students will be educated along with proficiency in Saswara Path of (Name of Veda and Shakha) entire Samhita as per the prescribed curriculum of the Pratishthan for the Academic Session 2026-27.

Subject to my regular teaching and compliance of all the rules and regulations for the Academic Session 2026-27, I will be paid a monthly honorarium of/- Rs. Each financially aided student will be provided a scholarship of Rs. 5000/- per month (to a maximum of 10 students), out of which Rs. 3500/- (three thousand five hundred only) for maintenance of Veda student (for clothing, food, accommodation, etc.) will be released directly in my account and Rs. 1500/- (one thousand five hundred only) will be released in the joint account of Veda Student & his parents (legal guardian in the absence of mother or father).

I hereby certify that the Veda students and I (Veda Guru) of this Guru Shishya Parampara Unit, who receive stipend and honorarium respectively from MSRVVP, Ujjain, are not concurrently receiving any financial assistance from any other Government/ Govt. Bodies/ Govt. Trusts/ Govt. Societies/ Public Trusts for the same purpose and work.

Terms & Conditions:-

1. It shall be my sole responsibility to teach the entire Veda Samhita along with modern subjects as per the the curriculum prescribed by the Pratishthan. The Pratishthan can inspect my GSP Unit at any time without any prior notice.
2. I shall abstain from anti-child activities as specified in the Juvenile Justice Act, POCSO Act and other similar legislations.
3. I am not in receipt of grants from any other government sources for Saswar teaching of Veda and will also not accept in future so long I receive grants from Pratishthan.
4. In compliance with the orders/terms & conditions of the Pratishthan,I shall take care of the food, accommodation & health of the students and I shall not engage them in Karmakand and other such activities. The Pratishthan may inspect the GSP Unit at any time. In the event of non-compliance with the orders or terms and conditions laid down by the Pratishthan, appropriate action may be taken against me.

5. I am affiliated only with Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Sanskrit Shiksha Board. I am fully aware of the fact that in case of my affiliation from any other Board/University, financial assistance and recognition of my GSP Unit will be cancelled.

I hereby solemnly affirm that, under the circumstances detailed below, I shall return the honorarium given by the Pratishthan for the respective year:-

6. If I fail to comply with the orders/terms and conditions laid down by Pratishthan or its Authorities.
7. If I fail to teach the curriculum (of Samhita) prescribed by the Pratishthan or fail to teach any other subject or in case I leave my teaching duties prior to the completion of session.
8. If progress report and examination result of students are found to be adverse.
9. If any student is absent in the annual examination of the Pratisthan without satisfactory reason or prior approval, stipend received in respect of him during this year will be returned.

In the event that any of the 09 aforesaid conditions are found to be false or opposite to what's been stated, then approval of my GSP Unit shall be cancelled.

I have affixed my signature after meticulous reading and full understanding of the entire affidavit and I hereby accept all the terms and conditions of the Grants.

Name, Signature, Address
& Telephone No. of the
GSP Unit/Veda
Swadhyayi Teacher

गुरुशिष्य परम्परा इकाई के लिए अनुदान का स्वरूप एवं शर्तें/

Nature of Grants and Terms & Conditions for Guru Shishya Parampara Unit

(अ) गुरुशिष्य परम्परा इकाई के लिए अनुदान का स्वरूप/Nature of Grants for Guru Shishya Parampara Unit

1. अनुदान की उपलब्धता पर आपकी इकाई (वेदगुरु) को प्रतिमाह रु. 25000/- (पच्चीस हजार) अध्यापक मानदेय के रूप में अध्यापक के खाते में जमा होगी। अन्य किसी भी सरकार से / सरकारी स्रोत से/सरकारी ट्रस्ट से वेद अध्यापन हेतु इकाई को अनुदान मिलने पर यह अनुदान देय नहीं होगा। इस हेतु शपथपत्र देना होगा। अनुदान की उपलब्धता पर प्रत्येक वित्तपोषित छात्र को रु. 5000/- प्रतिमाह (अधिकाधिक 10 छात्रों को) छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसमें रु. 3500/- (तीन हजार पांच सौ) रख-रखाव (वस्त्र, भोजन, आवास, आदि हेतु) छात्रवृत्ति का भुगतान आपके खाते में एवं रु. 1500/- (एक हजार पांच सौ) छात्र की स्वयं की छात्रवृत्ति छात्र के उनके अभिभावक (माता अथवा पिता उनके न होने पर विधि मान्य संरक्षक) के साथ संयुक्त खाते में जमा होगी। इस योजना के अन्तर्गत समय-समय पर परिवर्तित नियम एवं शर्तें भी लागू होंगी। गुरु का एवं सभी छात्रों का आधार संख्या एवं अभिभावकों के साथ संयुक्त बैंक खाता पास बुक होने पर ही मानदेय दिया जायेगा।

Subject to availability of grants, the Veda teacher (GSP Unit) will be paid monthly honorarium of Rs. 25000/- (twenty five thousand) as honorarium for teacher in teacher's account. This honorarium will not be released if the Veda teacher of the GSP Unit receives grants for teaching Vedas from any other Government/ Government Source/Government Trust. An affidavit to this effect has to be furnished for the same. Subject to availability of grants, each financially aided student will be provided with a stipend of Rs. 5000/- per month (for a maximum of 10 students under a Veda teacher), out of which Rs. 3500/- (three thousand five hundred) for maintenance of Veda student (for clothing, food, accommodation, etc.) will be released directly into GSP Unit Veda teacher account and Rs. 1500/- (one thousand five hundred) for personal expenses of the student will be released into the joint account of Veda student & his parents (legal guardian in the absence of parents). The terms and conditions as amended from time to time will also be applicable under this scheme. The honorarium will be released subject to the students having joint bank account with parents/guardians and bank pass book and only after the submission of Aadhaar Numbers and Bank Pass Books of the Guru & the students.

2. गुरुशिष्य परम्परा योजना के अन्तर्गत मान्य अनुदान तभी देय होगा, जब छात्र गुरु के सानिध्य में निवास करेंगे, कक्षा में छात्रों की साक्षात् पढ़ने में नियमित उपस्थिति होगी तथा गुरु स्वयं उच्च मानक गुणवत्ता के साथ सस्वर वेद पढ़ावेंगे।

Under the Guru Shishya Parampara Scheme, grants will be admissible, subject to proper accommodation for the students with Guru, regular attendance of students in face-to-face classes and the Guru personally imparting high-quality Saswara Veda education.

3. यह योजना के अन्तर्गत अनुदान नियमित उद्योग नहीं है अथवा नौकरी नहीं है, वेतनाधारित व्यवस्था नहीं है। सस्वर वेद अध्यापन हेतु गुरुशिष्य परम्परा इकाई योजना के अन्तर्गत सस्वर वेद अध्यापन हेतु निश्चित मानदेय पर आधारित व्यवस्था है, जो आप-गुरु द्वारा सस्वर वेद अध्यापन की निरन्तरता, गुणवत्ता, अनुदान की उपलब्धता एवं छात्रों की संख्या एवं नियमित उपस्थिति पर अवलम्बित है।

Under this scheme, the grant is neither a regular employment nor a job, nor it is a salary based arrangement. This is a system based on fixed honorarium for teaching Saswara Vedas under the Guru Shishya Parampara Unit Scheme for imparting Veda education. The grant is subject to quality teaching of Saswara Vedas by the Guru on a regular basis, availability of grant and number of students and their regular attendance.

4. प्रतिष्ठान के पत्र में दर्शाए गये इकाई स्थान से अन्यत्र इकाई का स्थानांतरण, किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। यदि आप स्वयं स्थानांतरण कर लेते हैं तो यह वित्तीय सहायता स्वतः निरस्त मानी जायेगी। अनुदान नहीं दिया जाएगा।

Transfer of GSP Unit from the location mentioned in Pratishthan's letter to any other place will NOT be accepted under any circumstances. The financial assistance will be forfeited automatically if the location of the GSP Unit is changed by the Veda teacher at his own will. No grant will be given under any circumstances.

5. आपकी इकाई संचालन के स्थान के आस-पास में प्रतिष्ठान से अनुदानित कोई वेद पाठशाला यदि है तो परिस्थितिवाश आपका एवं आपके छात्रों का अथवा केवल छात्रों का समायोजन करने के लिए प्रतिष्ठान अपने विवेकाधिकार से निर्णय कर सकता है। उस स्थिति में यदि आप पाठशाला में संयोजित होने में तैयार न होने पर इकाई स्वयं निरस्त मानी जाएगी एवं छात्रों के भविष्य के संबंध में निर्णय प्रतिष्ठान द्वारा लिया जाएगा।

If there is any Veda Pathashala, which is financially aided by the Pratishthan, in the vicinity of your GSP Unit, Pratishthan may exercise its discretion to merge your GSP Unit along with your students or only the students into the Veda Pathashala. In case of your refusal to the aforesaid merger, your GSP Unit will be dis-affiliated and decision regarding the future of the students will be taken by the Pratishthan.

(आ) अनुदान की शर्तें /Terms and Conditions for Grants

1. प्रतिष्ठान में अनुदान की उपलब्धता, आप द्वारा सस्वर वेद अध्यापन की निरन्तरता एवं गुणवत्ता, वेद मंत्रों का उच्चारण, कण्ठस्थीकरण, आपका प्रशिक्षण में भाग ग्रहण एवं स्वरसंचालन, छात्रों का प्रतिष्ठान पाठ्यक्रमानुसार परीक्षा में उत्तम परिणाम, छात्रों की उत्तम संख्या आदि के आधार पर वेद इकाई अध्यापक को योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष अनुदान स्वीकृति प्राप्त कर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रतिष्ठान द्वारा अपने निर्णय अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) 2020 के आलोक में वेद के अध्ययन के साथ सभी विषयों के गुणवत्तापूर्वक अध्यापन को ध्यान में रखकर 3-4 इकाइयों को मिलाकर पाठशाला के रूप में परिवर्तन भी प्रतिष्ठान के विवेकाधिकार से किया जा सकता है।

Subject to availability of grants and also subject to regular imparting of high quality Veda education with emphasis on correct recitation, memorization, your regular participation in training to attain perfection in intonation and excellent result by the students of the GSP Unit in the examinations conducted by the Pratishthan as per its syllabus, optimum number of students etc., financial assistance under the scheme will be available to the GSP Unit teacher after the same is approved by the Pratishthan. In the light of the National Education Policy 2020, to provide high quality education in other subjects along with the core subject of Veda, Pratishthan may at its discretion decide to merge 3-4 GSP Units into a single Pathashala.

2. वेद इकाई अध्यापक द्वारा महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन का वेदभूषण वर्ष 1-5 एवं वेदविभूषण 1-2 का समस्त पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना है, तथा प्रतिष्ठान के अन्तर्गत स्थापित महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड की ही वेदभूषण 1-5 एवं वेदविभूषण 1-2 परीक्षा में छात्रों की उत्कृष्ट तैयारी के साथ उपस्थिति सुनिश्चित करानी है। अध्यापक को समग्र वेद शाखा का सस्वर कण्ठस्थीकरण अनिवार्य है।

GSP Unit teacher will be required to teach the respective syllabus of Veda Bhushan 1st-5th year, Veda Vibhushan 1st-2nd year, as prescribed by the Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Sanskrit Shiksha Board/MSRVVP, Ujjain and ensure attendance of students, with excellent preparation, in the respective examination of the Veda Bhushan 1st-5th Year, Veda Vibhushan 1st-2nd year conducted by the Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Sanskrit Shiksha Board set up under Pratishthan. Saswara Veda memorization of the entire Veda Shakha is mandatory for the teacher.

3. प्रतिष्ठान द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों/भारतीय संविधान का आपको पूर्णतः पालन करना होगा।

The GSP Unit teacher must abide by the Constitution of India and follow the orders/instructions of the Pratishthan in letter and spirit.

4. किसी भी विवाद आदि से दूर रहकर निरन्तर छात्रों को पाठ्यक्रम अनुसार सस्वर वेद अध्यापन कराते रहना होगा। पाठ्यक्रम अनुसार समग्र वेद शाखा का सस्वर नियमित अध्यापन कर छात्रों को समग्र वेद शाखा का सस्वर कण्ठस्थीकरण कराना अनिवार्य है। कण्ठस्थीकरण हेतु वेद स्वाध्याय, आवृत्ति, सन्था को प्रतिनित्य कराना होगा।

The GSP Unit teacher must refrain from getting involved in controversies and concentrate only on imparting high quality Saswara Veda education as per the syllabus of the Pratishthan. It is mandatory to impart Saswara teaching of entire Veda Shakha as per the syllabus on a regular basis and make students memorize the entire Veda Shakha with correct intonation. For memorization, Veda Swadhyay, Avrtti, Santha will have to be done on daily basis.

5. प्रतिष्ठान पाठ्यक्रमानुसार वेदभूषण (1-5) एवं वेदविभूषण (1-2) परीक्षा हेतु सस्वर वेद अध्यापन कराना, छात्रों को आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करना, उपर्युक्त अथवा प्रतिष्ठान पाठ्यक्रमानुसार प्रतिष्ठान की अन्य परीक्षा अथवा मासिक परीक्षा हेतु छात्रों को तैयार कर, योग्य मार्गदर्शन देकर प्रतिष्ठान परीक्षा में उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा प्रतिष्ठान निर्देशानुसार प्रत्येक इकाई में सतत 10 छात्रों की संख्या को बनाए रखना भी आपका स्वयं का संपूर्ण उत्तरदायित्व रहेगा। बोर्ड का वेदभूषण (1-5) को कक्षा 6 से 10 की सामान्य शालेय शिक्षा के समान मान्यता तथा वेदविभूषण (1-2) को 11 एवं 12 कक्षा सामान्य शिक्षा के समान मान्यता सरकार द्वारा दी गई है।

वेद अध्यापन के स्तर, गुणवत्ता के आधार पर इकाई को वेदभूषण (1-3) /वेदभूषण (1-5) एवं वेदविभूषण (1-2) की मान्यता प्रदान की जाएगी।

It will be the sole responsibility of the GSP Unit teacher to teach the Saswara Veda recitation and other modern subjects according to the curriculum of the Pratishthan for Veda Bhushan (1-5) and Veda Vibhushan (1-2) examinations, to prepare and guide the students for the above or other examinations of the Pratishthan or monthly examination as curriculum of Pratishthan and ensure their attendance in the examinations, to maintain the strength of 10 students in each GSP Unit on a regular basis as per the Pratishthan's instructions. The Board's Veda Bhushan (1-5) has been given equal recognition to classes 6th to 10th of mainstream school education and Veda Vibhushan (1-2) has been given equal recognition to classes 11th and 12th of mainstream school education by the Government.

Based on the level and quality of Vedic teaching, the concerned unit shall be granted recognition for Vedabhushan (Level 1 to 3) / Vedabhushan (Level 1 to 5) and Ved Vibhushan (Level 1 to 2).

6. ध्यातव्य रहे कि विवरण प्रपत्र (फॉर्म) में छात्र का नाम एवं जन्मतिथि का जैसा उल्लेख होगी वही प्रथम वर्ष से (6 कक्षा स्तर) से सप्तम वर्ष (+2 स्तर/12 वीं स्तर) तक मान्य होगी बीच में अथवा बाद में किसी भी स्थिति में छात्र का नाम एवं जन्मतिथि में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

It may be noted that the Name and Date of Birth furnished in the particulars form will remain unchanged during the entire course of Veda Bhushan 1st Year (Class-6th) to Veda Vibhushan 2nd Year (+ 2 Level/ Class 12th). Any change in the Name and Date of Birth of the student, either during or after completion of the course, will not be allowed under any circumstances.

7. छात्र का नाम एवं जन्मतिथि के लिए सरकारी नियमानुसार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्राप्त जन्म प्रमाणपत्र ही मान्य है।

As per the government rules, only the birth certificate obtained under the Birth and Death Registration Act 1969 is valid for the Name and Date of Birth of the student.

8. वेद इकाई अध्यापक द्वारा प्रतिष्ठान अथवा भारत सरकार की किसी भी पालिसी/निर्णय/आदेशों/ निर्देशों/शिक्षा नीति/भारतीय संविधान के विविध प्रावधानों का तिरस्कार/टिप्पणी/विमर्श करने पर इसे कदाचार (मिस्कॉन्डक्ट) श्रेणी में माना जायेगा।

Non-compliance of GoI/MSRVVP policy/decision/orders/instructions/ education policy or making adverse remark or showing disrespect to the various provisions of Constitution of India by the GSP Unit teacher will be treated as 'misconduct' on his part.

9. वेद इकाई अध्यापक द्वारा स्थानान्तरण हेतु लिखना, अनुदान के बारे में किसी भी तरह का दुष्प्रचार, उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं देना, धरना प्रदर्शन में भाग लेना, प्रतिष्ठान के कार्यों के प्रति गलत प्रचार करना, समय पर प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होना अनुदान के शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा।

Any request for relocation or shifting of the GSP Unit, any form of vicious propaganda regarding the grant, non-submission of Utilization Certificate, participating in the demonstration, spreading misinformation about the works of the Pratishthan, failure to attend training on time etc.—all of these will be considered as violations of the terms and conditions of the Grants.

10. प्रतिवर्ष आप प्रतिष्ठान में स्वयं 15 दिनों तक उपस्थित रहकर सस्वर वेद उच्चारण का प्रगत प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे एवं इसमें किसी भी तरह का छूट नहीं मिलेगी।

It is mandatory for the GSP Unit teacher to every year attend 'Advance Training in Saswara Veda Recitation' for 15 days in Pratishthan. No exemption will be allowed for the same.

11. सभी छात्रों को इकाई में आवासीय गुरुकुल व्यवस्था में रखना होगा तथा उच्च मानक के अनुसार शुद्ध सात्त्विक भोजन, वस्त्र, औषध, सुरक्षा आदि देना अनिवार्य है।

It is mandatory for the GSP Unit teacher to arrange for the stay of all the students in residential Gurukul in the GSP Unit, to provide pure Satvik food, clothes, medicine, security etc. as per high standards.

12. प्रत्येक वेद अध्यापक के अनुपात में अधिकतम 10 छात्र वित्तपोषित छात्र होंगे। 5-10 छात्रों की संख्या को निरन्तर बनाये रखना आपका उत्तरदायित्व है। 5 (पाँच) से कम छात्र होने पर अनुदान निरस्त किया जा सकता है।

A maximum of 10 financially aided students are allowed under each Veda teacher. It is the responsibility of the GSP Unit teacher to continuously maintain the student strength of 5-10. The grant may be cancelled if the strength of the students is less than 5 (five) students.

13. अन्य सरकार/सरकारी स्रोतों से/सरकार नियंत्रित स्रोतों से/सरकारी नियंत्रित ट्रस्टों से गुरु शिष्य परम्परा इकाई छात्रों/गुरु शिष्य परम्परा इकाई वेद गुरु को अनुदान प्राप्त करने पर मसारावेविप्र द्वारा अनुदान देय नहीं होगा।

MRSVVP will not release grants if the GSP Unit Students/GSP Unit Veda Guru receive grants from any other Government/Government sources/Government controlled sources/Government controlled Trusts, for the same teachers and the students.

14. आपके छात्रों की सुरक्षा, सही से इकाई चलाने का उत्तरदायित्व एवं व्यवस्था पूर्णतः गुरु की (स्वयं की) रहेगी।

The responsibility and arrangements for the safety of your students and proper running of the GSP Unit will be entirely of the Guru (himself).

15. छात्रों को उत्तम चरित्र, सद्यवहार, उत्तम जीवनशैली, सामाजिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय आदर्श, भारतीय ज्ञान परम्परा का महत्त्व सिखाना होगा। जुवेनाईल जस्टीस एक्ट, पोक्सो एक्ट आदि संबद्ध कानून के अन्तर्गत जो भी बालक/ बालिका विरोधी गतिविधियां हैं, उन सभी से आप एवं आप के सभी छात्र दूर रहेंगे। अनधिकृत व्यक्ति का इकाई में प्रवेश सुरक्षा की दृष्टि से वर्जित है।

The GSP Unit teacher must teach his students the importance of good character, good behaviour, good lifestyle, social responsibility, national ideals, Indian Knowledge Systems. You, as the GSP Unit teacher, and all your students, must refrain from any activities that violate laws concerning the protection of children, including the Juvenile Justice Act and the POCSO Act. Entry of unauthorized persons in the GSP Unit is prohibited from security point of view.

16. इकाई में/परिसर में किसी भी प्रकार का तम्बाकू/नशीला पदार्थ, पानपराग आदि सेवन करना/बेचना/स्वयं के पास रखना/दूसरे को खिलाना आप एवं आप के सभी छात्र द्वारा सर्वथा प्रतिबन्धित है एवं दण्डनीय अपराध है। किसी भी छात्र का शारीरिक/मानसिक दण्ड, तथा अन्य तरह का प्रताड़ना सर्वथा निषिद्ध एवं कानूनों/नियमों के तहत दंडनीय है।

Possession, consumption or encouraging others to consume any kind of intoxicating substance such as tobacco, paan masala etc. in GSP Unit or in campus by the teacher or the students is prohibited and is a punishable offence. Inflicting physical or mental torture to any student of the GSP Unit is also prohibited and punishable under the laws/rules.

17. चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष अप्रैल 20 तक प्रस्तुत करना वेद गुरु इकाई का स्वयं का संपूर्ण उत्तरदायित्व रहेगा।

It will be the sole responsibility of the GSP Unit teacher to furnish the Utilization Certificate, duly certified by a Chartered Accountant, latest by 20th April of every year.

18. स्वयं भारतीय परम्परा से सुनिश्चित वैदिक वेशभूषा, शिखा, तिलक, वैदिक आचार, व्यवहार तथा वेद स्वाध्याय विधि का संपूर्ण पालन करते हुए छात्रों से अनिवार्यतः वैदिक वेशभूषा आदि का भी पालन कराना आप का कर्तव्य होगा। छात्रों से प्रतिनित्य शास्त्र विहित संध्या एवं वेद स्वाध्याय करावें।

It will be the duty of the Veda teacher of the Unit himself to follow the Indian tradition, wear traditional Vedic dresses, have tilak and shikha and ensure that the students follow the same. It will also be his duty to perform the rituals of swadhyay, sandhya etc. every day along with the students.

19. किसी भी विवाद आदि से दूर रहकर निरन्तर छात्रों को पाठ्यक्रम अनुसार सस्वर वेद अध्यापन कराते रहना होगा। छात्रों को कर्मकाण्ड आदि में जोड़ना सर्वथा निषिद्ध रहेगा। किसी भी समय छात्रों को धनार्जन हेतु कर्मकाण्ड आदि में जोड़ते हुए पता लगने पर कार्रवाई होगी।

The GSP Unit teacher should keep himself away from disputes or controversies of any kind and engage himself in teaching the students regularly on Saswar Veda in accordance with the curriculum. It is strictly prohibited to engage the students in

Karmakand or similar activities. If students are found to be involved in Karmakand or similar practices, appropriate action will be taken.

20. इस पत्र पर दर्शाए गये पते पर (इकाई संचालन स्थान पर) निर्धारित संलग्न प्रारूप का स्थाई बोर्ड लगवाना अनिवार्य है, जिससे वेदविद्या का संरक्षण, प्रचार-प्रसार में भारत सरकार एवं प्रतिष्ठान का आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक योगदान समाज में पता चलें।

A permanent board, in the enclosed format, must be affixed at the approved address mentioned in this letter (where the GSP Unit is being run) so that the society at large becomes aware of the financial, cultural and academic contribution of the Pratishthan /Govt. of India in preservation and propagation of Vedic knowledge.

21. प्रत्येक वित्तपोषित छात्र का उनके अभिभावक के साथ संयुक्त खाता, आधार कार्ड प्रति एवं आधार संख्या उल्लेखित करना अनिवार्य रहेगा। छात्रों का रख-रखाव छात्रवृत्ति का ब्यौरा रखना भी आपका कर्तव्य होगा। इकाई (वेदगुरु) का आधार कार्ड प्रति एवं आधार संख्या देना अनिवार्य रहेगा।

It is mandatory for each financially-aided students to open joint bank account with their parents and submit the details along with copy of Aadhar Card. Keeping proper accounts of the maintenance grants of the students will also be the responsibility of the GSP Unit teacher. It is also mandatory for the GSP Unit teacher to provide his own Aadhar number and Aadhar card photocopy .

22. गुरुशिष्य परम्परा इकाई योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रत्येक वर्ष बॉण्ड, शपथ पत्र एवं प्रपत्र लिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत समय-समय पर परिवर्तित नियम एवं शर्तें भी लागू होंगी।

For providing financial assistance under the Guru Shishya Parampara Unit Scheme, the GSP Units are required to submit Bond, affidavit and various other documents every year. The terms and conditions, as amended from time to time, will also be applicable for the scheme.

23. प्रतिमाह 20 तारीख को छात्र एवं वेदगुरु का चित्र, (दिनांक एवं समय अंकित) के साथ उपस्थिति प्रेषित कर अनुदान क्लेम किया जा सकेगा।

Financial assistance may be claimed every month by enclosing attendance sheet along with photos (with date & time) of the students and the teacher on 20th of the month.

24. निर्देश होने पर वेद के प्रचार एवं प्रसार कार्यक्रमों में तथा प्रतिष्ठान के वेद सम्मेलन, वेद पारायण, परीक्षा, वेद स्वाध्याय, वेद अध्यापन गुणवत्ता विकास कक्षा आदि में, कर्तव्यनिष्ठा से भाग लेना भी आपका कर्तव्य होगा। प्रतिवर्ष कम से कम एक वेद सम्मेलन में अनिवार्यतः भाग लेना है।

As per direction of the Pratishthan, the GSP Unit teacher will have to diligently take part in Veda related promotional programmes as well as in activities of the Pratishthan such as Veda Conference, Veda Parayana, Veda Swadhyay, Quality Improvement Programme in Veda teaching etc . It is mandatory to participate in at least one Veda Conference every year. of Vedas Pratishthan such as

25. प्रतिष्ठान द्वारा समय-समय पर जारी सूचनाएं प्रतिष्ठान के वेबसाइट www.msrvvp.ac.in पर उपलब्ध रहेंगी, जिसे देखकर सतत क्रियान्वयन करना आपकी स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी। आपको कोई भी सूचना (पत्राचार, छात्रों का प्रवेश, परीक्षा हेतु आवेदन भरना आदि) ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी, जो समय-समय पर जारी होगी।

The notifications issued by the Pratishthan from time to time, will be available on the website of the Pratishthan (www.msrvvp.ac.in). The GSP Unit teacher should follow the same and take appropriate action. Any information (correspondence, admission of students, filling of application for examination etc.) which will be issued from time to time, will be informed through e-mail.

26. आप की इकाई के आसपास के लोगों को भी वेद की महिमा एवं दिव्य वेद नाद से परिचित कराने के लिए प्रतिनित्य 30 मिनट वेद पारायण, जिसे सब लोग सुन सके, उस तरह करावें।

The neighborhood of the GSP Unit should be made aware of the divinity of the Veda and Veda mantras by performing Veda parayan for at least 30 minutes every morning.

27. इकाई का औचक निरीक्षण/Surprise inspection of the GSP Unit

इकाई का समय-समय पर प्रतिष्ठान द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। वेद एवं अन्य विषय की पढ़ाई, उच्च गुणवत्ता का मानक भोजन आदि व्यवस्था में कोई भी शिकायत मिलने पर औचक निरीक्षण के समय व्यवस्था में गड़बड़ी पाये जाने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व गुरु का ही रहेगा। कोई भी गड़बड़ी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से अनुदान निरस्त रहेगा। निरीक्षण के समय अनुपस्थित गुरु एवं अनुपस्थित छात्र को तत्काल प्रभाव से अनुदान व्यवस्था से दूर किया जायेगा, पूर्व का अनुदान भी देय नहीं होगा। प्रदत्त अनुदान वापस लेने हेतु प्रक्रिया की जायेगी।

The GSP Unit will be periodically inspected by the Pratishthan. During the surprise inspection, any shortcomings/lapses are found with regards to study of Veda & other subjects, arrangement for high quality food etc, the Guru will be held liable. In case of any shortcomings/lapses, the financial assistance will be forfeited immediately. If any Guru or student is found absent during inspection, their grant/ honorarium will be stopped immediately and no previous grants will be released. Process will be initiated to recover the paid/given grants.

28. महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड की मान्यता/Recognition of Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Sanskrit Shiksha Board

शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार ने अपने राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 11-3/2016 एससीएच.3 दिनांक 15 नवंबर 2021 के माध्यम से एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू), नई दिल्ली को स्कूल बोर्डों की मान्यता और ग्रेड 10 और ग्रेड 12 बोर्ड परीक्षाओं के प्रमाणपत्र/उच्च अध्ययन और रोजगार के लिए प्रमाणपत्र मान्यता के लिए अधिकार दिया है। इस राजपत्र के अधीन महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड की वेदभूषण (1-5) एवं वेदविभूषण (1-2) परीक्षा भारत सरकार द्वारा 10वीं एवं 12 के रूप में मानित हैं एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली द्वारा यह बोर्ड केन्द्रीय एवं राज्य सामान्य शिक्षा स्कूल बोर्ड की तरह उच्च अध्ययन हेतु प्रवेश और केन्द्र या राज्य सरकार में रोजगार के लिए अखिल भारत स्तर पर मानित है।

Department of School Education & Literacy, Ministry of Education, Govt. of India, vide Gazette Notification F. No. 11-3/2016-Sch 3 dated 15th November, 2021, has empowered the Association of Indian Universities (AIU), New Delhi for recognition of School Boards and award of certificates of Grade 10 and Grade 12 Board Examinations/ and recognition of certificates for higher studies and employment. Through this Gazette notification, the Government of India has recognized Veda Bhushan (1-5) and Veda Vibhushan (1-2) Examinations of **Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Sanskrit Shiksha Board** as equivalent of 10th and 12th std and the Association of Indian Universities, New Delhi has recognized this Board on par with any other general education Central and State School Boards for admission to higher education and employment in Central or State Government.

29. महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड की संबद्धता, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक/ Affiliation, Curriculum and Textbooks of Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Sanskrit Shiksha Board

प्रतिष्ठान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित एवं मान्यता प्राप्त महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड की संबद्धता शुल्क भुगतान कर नियमानुसार संबद्धता आप को लेना होगा, समस्त निर्देशों को पालन कराना एवं बोर्ड की परीक्षा में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करानी होगी। समय-समय पर जारी सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट <https://msrvvp.ac.in/msrvssb1/> पर उपलब्ध हैं। अन्य किसी भी बोर्ड से संबद्धता लेना सख्त मना है, अन्य किसी भी बोर्ड से संबद्धता लेना अवैध है। अन्य बोर्डों से मान्यता लेने पर यह मान्यता एवं अनुदान भी स्वतः निरस्त होगा। इस पर कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन एवं प्रतिष्ठान के अन्तर्गत स्थापित महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें प्रतिष्ठान के वेबसाइट www.msrvvp.ac.in एवं <https://msrvvp.ac.in/msrvssb1/> पर उपलब्ध हैं, इन्हें अथवा एनसीईआरटी की पुस्तकों के आधार पर आधुनिक विषय पढ़वाना आप स्वयं सुनिश्चित करें। वेदशाखा के पढ़ाई में आधारभूत शुद्ध एवं सस्वर वेद के पुस्तकों हेतु वेद गुरु स्वयं जानते हैं, अपने गुरु परम्परा से मार्गदर्शन प्राप्त करें। वेद मन्त्रों का एवं प्रत्येक अक्षर का उच्चारण शुद्ध एवं मानक रूप से होना सुनिश्चित करें। यथा-श, ष, स, च, व, ब, महाप्राण अक्षर।

Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Sanskrit Shiksha Board has been established under the Pratishthan by Govt. of India and has been recognized by the Govt. As per rule the GSP Unit will have to take affiliation from the Board by paying the affiliation fees, comply with all instructions of the Board and ensure students' attendance in the Board exams. Notification issued from time to time is available on the website of the Board (<https://msrvvp.ac.in/msrvssb1/>). Affiliation with any other Board is strictly prohibited and obtaining affiliation from any other Board is illegal. On taking recognition from other Boards, this recognition and grant will also be automatically forfeited. No correspondence will be entertained in this matter.

The text books of Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Sanskrit Shiksha Board, set up under MSRVVP, are available on the website of Pratishthan (www.msrvvp.ac.in) and the Board's website (<https://msrvvp.ac.in/msrvssb1/>). The GSP Unit teacher will have to ensure that the modern subjects are taught as per these textbooks or NCERT textbooks.

The Veda Guru of the Unit is well aware of the fundamental books pertaining to respective Veda Shakhas that are required for Saswar Veda teaching. If needed guidance from Guru Parampara for the same may be taken. Standard and accurate pronunciation of Vedic Mantras and each letter is to be ensured by the GSP Unit teacher. For example- Aspirated Consonants like श(śa), ष(ṣa), स(sa), च(ca), व(va), ब(ba). Special attention is to be paid on Hand movements & pronunciation of Swaras.

कौशल विकास हेतु पाठ्यक्रम/ Courses for Skill Development

विद्यार्थियों के वेद संबद्ध कौशल विकास हेतु, मसारावेसंशिवोर्ड एवं प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर उपलब्ध वेद कौशल विकास पाठ्यक्रम में से कोई दो कौशल पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को चुनना है, तदनुसार, अभ्यास कराना होगा।

For the Veda related skill development of the students, the students are to choose any two skill courses from the Veda skill development courses listed on the website of MSRVSSBoard and Pratishthan and they will have to practice accordingly.

30. अनुदान विनियोग के समय डिजिटल भुगतान / क्रॉस चेक के माध्यम से / Digital Payment/Cross Cheque while appropriating the Grants

प्रतिष्ठान द्वारा आपके (वेद गुरु के) खाते में जारी रखरखाव राशि का हिसाब अथवा जिस उद्देश्य के लिए विनियोग करना है वह आप- वेद गुरु की स्वयं का उत्तरदायित्व है। आप के छात्रों हेतु उच्च गुणवत्ता का भोजन, खाद्य सामग्री अथवा उच्च गुणवत्ता का पारंपरिक भोजना आदि व्यवस्था में किसी भी भुगतान को डिजिटल अथवा क्रॉस चेक के माध्यम से ही करें। भुगतान का रिकार्ड या रसीद रखें जिससे आवश्यकता होने पर व्यय की गयी राशि का हिसाब आप समय पर प्रतिष्ठान में प्रस्तुत कर सकें, साथ ही आपको कोई कानूनी उलझन न हो। वेद गुरु किसी अन्य संस्था या व्यक्ति के माध्यम से भोजन आवास आदि व्यवस्था कराने पर भी, भोजन आवास आदि व्यवस्था एवं उस हेतु प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त धन राशि के सदुपयोग के एकमात्र उत्तरदायी वेद इकाई गुरु रहेंगे। अन्य संस्था या व्यक्ति द्वारा भोजन, आवास आदि प्रबन्ध कराने पर वेद गुरु अपने स्तर पर ही भुगतान व्यवस्था करें, समय पर उन्हें पूर्ति डिजिटल रूप में कर लें। छात्रों के भोजन आदि व्यवस्था में अन्य संस्था, किराना दुकान, व्यापारी या व्यक्ति का प्रतिष्ठान से कोई संबंध नहीं है।

It will be the responsibility of the GSP Unit teacher to keep proper accounts of maintenance grants released into his bank account and their outgo. For making arrangement of high quality food, food supplies or high quality of traditional food etc. for the students, all payments may be made through digital mode or through crossed cheque so that records of expenses/payments can be submitted to the Pratishthan as and when required, and will also help in avoiding any legal issues. Even if the GSP Unit teacher arranges food, accommodation etc. through any other agency or person, he will remain responsible for proper utilization of the amount released by the Pratishthan for the purpose.

If any other organization or person arranges for food, accommodation etc., then Veda Guru should arrange for payment at his own level and reimburse them in digital form on time. Any other institution, grocery shop, trader or person has no connection with the Pratishthan in arranging food etc. for the students.

31. छात्रों की सुरक्षा एवं सच्चारित्र्य निर्माण / Safety and good character building of Students

छात्रों की सुरक्षा का संपूर्ण देखरेख गुरु स्वयं करें, छात्रों की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिये, अपरिचित व्यक्तियों से छात्रों को मिलने न दें, अपरिचित व्यक्तियों के साथ छात्रों को न भेजें, छात्रों में देशभक्ति एवं सच्चारित्र्य निर्माण पर विशेष ध्यान दें। कभी भी बाहर से अन्य द्वारा लाये गये वस्तु को खाने पीने न दें। संपूर्ण सात्विक एवं मसाले रहित भोजन पदार्थ ही छात्रों को दें। छात्रों की भाषा, बोलचाल, वार्तालाप उत्तम स्तर का होना चाहिये, कभी भी संस्कृति विरुद्ध न हो। भारतीय ज्ञान परम्परा एवं संस्कृत संभाषण पर विशेष आग्रह रहे। पुलिस केस, मारपीट, लडाई-झगडे, अन्य अपराध प्रकरण, अनैतिक एवं दुश्चारित्र्य प्रकरण में संदिग्ध- संलिप्त होने पर यह छात्रों एवं गुरु का अनुदान निरस्त होगा।

The Guru himself is responsible for the complete safety of the students. There should be no lapse in the safety of the students. Students should not be allowed to meet unknown persons. Students should not be sent with unknown persons. Special attention must be paid to developing patriotism and good character in the students. Students must never be allowed to eat or drink anything brought by others from outside. Provide only completely sattvik and spice-free food to the students. The students' language, speech, and conversation should be of a high standard and must never be against the culture. Special emphasis must be laid on Indian knowledge tradition and Sanskrit conversation. This grant for the students and the Guru will be cancelled if they are suspected or involved in police cases, assault, fights, other criminal cases, or immoral cases.

32. गुरुशिष्य परम्परा इकाई का अनुदान स्थगित करना/निरस्त करना /Deferment/Cancellation of the Grants of GSP Unit -

इकाई का निरीक्षण करने पर यदि आपकी इकाई सुचारु रूप से व्यवस्थित / संचालित नहीं पाई जाती है, वेद की पढ़ाई एवं अन्य विषयों की पढ़ाई की व्यवस्थाओं में पूरी न्यूनताएं दिखती हैं, भोजन आवास आदि में गुणवत्ता एवं स्वच्छता नहीं है, अथवा अनुदान जिस उद्देश्य से दिया गया उस के उपयोग में अनियमितता यदि पायी जाती है अथवा प्रतिष्ठान के दृष्टि में सस्वर वेद अध्यापन में एवं वेद शाखा कण्ठस्थीकरण में आपकी एवं छात्रों की शिथिलता पाई जाती है अथवा निर्देश होने पर वेद के प्रचार एवं प्रसार कार्यक्रमों, वेद सम्मेलनों, रीफ्रेशर कोर्स, वेद अध्यापन गुणवत्ता विकास कक्षा में समय-समय पर आप भाग नहीं लेते हैं अथवा छात्र संख्या में नितान्त लगातार कमी दिखती है अथवा किसी भी विवाद अथवा आपराधिक प्रकरण की स्थिति में गुरुशिष्य परम्परा योजना के उद्देश्य सफल नहीं होने के कारण, तत्काल प्रभाव से आप के अनुदान स्थगित करने का अथवा आपकी इकाई को अनुदान रद्द कर छात्रों के हित को ध्यान में रखकर आपके छात्रों को अन्यत्र सस्वर वेद अध्यापन व्यवस्था कराने का अधिकार प्रतिष्ठान सचिव के पास रहेगा।

यदि आप पत्र में दी गयी सभी शर्तों को स्वीकार करते हैं तो आप निर्धारित प्रपत्र पर जानकारी निर्देशित दिनांक तक प्रतिष्ठान में प्रेषित करें।

In the event of any lapses/shortcomings found during the inspection of the GSP Units with regard to operating/running the GSP Unit, laxity in the arrangements for the study of Vedas and other subjects, substandard food and accommodation, non-fulfillment of the purpose for which financial assistance is provided, laxity in teaching

of Saswara Veda & laxity in Saswara Veda memorization both by the Veda Guru and his students, despite instruction from the Pratishthan, non-participation in promotional activities of Vedas , Veda Conferences, Refresher Courses, Veda teaching quality development classes from time to time, gradual decline in the number of students or failure to achieve the objective of the Guru Shishya Parampara Scheme due to any dispute or criminal case, financial assistance to the GSP Unit will be stopped forthwith and keeping the future of the students in view, the Secretary of the Pratishthan will have the right to shift the students elsewhere for their continued study of Saswara Veda.

If all the above terms and conditions mentioned are acceptable to the GSP Unit teacher, he may submit the requisite details to the Pratishthan in the prescribed proforma latest by the prescribed date.